संख्या-25/2023/515/30-03-23-6बी/2014टीसी-।।।

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2023

विषय:- परिवहन विभाग में संचालित 12 पब्लिसिटी वैन में एलईडी स्क्रीन लगाने एवं 116 नग ब्रेथ एनालाइजर को क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-286स0सु0/2023-09स0सु0/2018-22, दिनांक 09-02-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में पूंजीगत योजनायें-अन्य व्यय में 12 पब्लिसिटी वैन में आउटडोर एलईडी स्क्रीन लगाये जाने हेतु रू0 156.00 लाख तथा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रभावी प्रवर्तन की दृष्टि से 116 ब्रेथ एनालाइजर हेतु रू0 29.00 लाख अर्थात कुल रू0 185.00 लाख की अनुमोदित धनराशि में से परिवहन विभाग में संचालित 12 पब्लिसिटी वैन में एलईडी स्क्रीन लगाने एवं 116 नग ब्रेथ एनालाइजर को क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 1,83,69,202 (रू0 एक करोड़ तिरासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ दो मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अग्रिम रूप से आहरित कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-389-X-2022-23, दिनांक 10 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2023/515/30-3-23-6बी/2014टीसी-।।।, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in